Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 7.384
Volume - 8, Issue - 5, May - 2025

DOIs:10.2018/SS/202505003 --:-- Research Paper / Article / Review

डॉ. भीमराव आंबेडकर के राजनैतिक चिंतन का समकालीन परिप्रेक्ष्य में पुनर्मूल्यांकन

डॉ. मुनेन्द्र सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास एवं एशियन कल्चर विभाग, शिया पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ
Email - munder.singh@gmail.com

सारांश: डॉ. भीमराव आंबेडकर भारतीय राजनीति, समाज और संविधान निर्माण के ऐसे युगद्रष्टा थे, जिनकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। उनके राजनैतिक विचारों की बुनियाद सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों पर आधारित थी। इस शोधपत्र में आंबेडकर के राजनीतिक चिंतन का समकालीन परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करते हुए यह समझने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान भारतीय लोकतंत्र में उनके विचार किस प्रकार प्रभावी हैं। जातिवाद, सामाजिक भेदभाव, दलित अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में उनके योगदान का गहन विश्लेषण किया गया है। साथ ही यह भी देखा गया है कि आज के सामाजिक-राजनैतिक परिवेश में आंबेडकरवाद को किस रूप में व्याख्यायित किया जा रहा है। यह पुनर्मूल्यांकन न केवल उनके योगदान को समझने में सहायक है, बल्कि यह वर्तमान सामाजिक संरचना में उनके विचारों की प्रासंगिकता को भी रेखांकित करता है। यह लेख, अम्बेडकर के लेखन में निहित सैद्धांतिक मुद्दों को प्रतिबिंबित करने के अलावा, उन मुद्दों पर अम्बेडकर की स्थिति को पकड़ने का प्रयास करता है जिनकी प्रासंगिकता वास्तव में आज भी महसूस की जाती है। अम्बेडकर का राजनीतिक दर्शन विशेष रूप से पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत के संकट पर फिर से बातचीत करने और आम जनता के संघर्षों का नेतृत्व करने में मदद कर सकता है। अम्बेडकर का लेखन उदारवादीएवं रूढ़िवादी जैसी भव्य राजनीतिक धाराओं के साथ जुड़ा है। अम्बेडकर का दर्शन अनिवार्य रूप से नैतिक और धार्मिक है। उनके लिए, समाज राजनीति से पहले है। सामाजिक नैतिकता उनके राजनीतिक दर्शन का केंद्र है। वह न तो घोर व्यक्तिवादी है और न ही रूढ़िवादी या समुदायवादी। लोकतंत्र की अवधारणा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को सच्ची भावना से आत्मसात करती है। प्रभुत्वशाली राजनीतिक परम्पराओं में आंबेडकर कहाँ खड़े है, यह पता करना कठिन है। अम्बेडकर का राजनीतिक चिंतन उनके विचारों की जटिलता को समझने के लिए नई भाषा की मांग करता है। वर्तमान अध्ययन अम्बेडकर पर मौजूदा साहित्य में अंतराल और खामियों को ध्यान में रखते हुए अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों के विभिन्न पहलुओं का एक संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने का एक प्रयास है।

मुख्य शब्द: : आंबेडकर, राजनैतिक विचार, सामाजिक न्याय, संविधान, लोकतंत्र, आंबेडकरवाद, दलित अधिकार, समानता, धर्म, जातिवाद विरोध, सामाजिक परिवर्तन, मानवाधिकार, स्वतंत्रता।

1. पृष्ठभूमि :

अम्बेडकर समकालीन समय में दलित आंदोलन के उदय के साथ एक प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक के रूप में उभरे हैं। अम्बेडकर और उनके दर्शन को समझने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। अम्बेडकर के विविध, और कभी-कभी, विरोधाभासी सैद्धांतिक मूल्यांकन के अस्तित्व के कारण विद्वानों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। विद्वानों के सामाजिक संदर्भ और उनकी व्यक्तिपरक स्थिति विचारक के आकलन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और अक्सर विद्वानों की राय अत्यधिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं जो या तो अम्बेडकर को ऊंचा करती हैं या उन्हें नीचा दिखाती हैं। हालांकि राष्ट्रवादी आंदोलन से लेकर अस्सी के दशक तक उनका भारतीय राजनीति पर काफी प्रभाव रहा, लेकिन अंबेडकर पर ज्यादा अकादमिक बहस नहीं हुई। ज्ञान के समुदायों और सत्ता के केंद्रों ने उन्हें एक विचारक और सामाजिक वैज्ञानिक के रूप में या तो नजरअंदाज कर दिया या जानबूझकर हाशिए पर डाल दिया। अम्बेडकर का समकालीन-भारतीय दर्शन और भारत के दार्शनिक प्रवचनों में कहीं भी उल्लेख नहीं है। अम्बेडकर के इस बहिष्कार को भारतीय दर्शन के लेखकों की अंतर्निहित राजनीति से समझा जाना चाहिए।बहुत दिलचस्प बात यह है कि

भारतीय समाज के वंचित वर्ग के जन समुदाय उन्हें सबसे आगे लाते हैं। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि अम्बेडकर की मूर्ति के बिना देश का कोई बड़ा गाँव नहीं है। वह समकालीन समय का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है। अम्बेडकर के साथ दलित समुदायों के प्रतीकात्मक जुड़ाव के कारण, रूढ़िवादी से लेकर कट्टरपंथी तक के राजनीतिक दलों और शिक्षाविदों को अम्बेडकर की ओर देखने को मजबूर होना पड़ा। दूसरे शब्दों में, अम्बेडकर का दर्शन भारतीय समाज के सामाजिक पुनर्निर्माण के सिद्धांतों की खोज है।सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति में जन्मे, पश्चिमी व्यवस्था की तर्ज पर शिक्षित, दृष्टिकोण में तर्कसंगत और मानसिकता और स्वभाव में कुछ हद तक विद्रोही, भीमराव रामजी अम्बेडकर ने उचित समय पर सामाजिक आंदोलन में भाग लिया और देश के संवैधानिक भवन की स्थापना में शामिल हो गए। वह आधुनिक भारत के अग्रणी राष्ट्र-निर्माताओं में से एक थे। उन्होंनेभारत के लगभग पैंसठ लाख अछूतों के 'मुक्ति आंदोलन' की शुरुआत की। क्योंकि अम्बेडकर ने निचली जाति में जन्म लेने के बावजूद महाराष्ट्र के महार समुदाय ने देश की राजनीति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जहाँ तक पिछड़े वर्गों की मुक्ति का सवाल है, उन्होंने सबसे पहले दलित वर्गों के प्रति सामाजिक उदासीनता के लिए सवर्ण हिंदुओं की आलोचना की, उनके राजनीतिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराया और दलित वर्गों के के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारतीय और पश्चिमी विद्वानों के लेखन से अच्छी तरह वाकिफ होने के कारण, अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन में अछूतों की समस्या को प्रतिबिंबित किया। उनके विपुल लेखन पर एक नज़र डालने से स्पष्ट होता है कि दलितों की समस्याओं के प्रति अपनी व्यस्तताओं के बावजूद, अम्बेडकर ने अपने तरीके से समकालीन राजनीतिक विचारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

2. आंबेडकर और लोकतान्त्रिक व्यवस्था

अम्बेडकर को जिन कई कारकों का सामना करना पड़ा, वे उनके राजनीतिक विचारों के निर्माण में महत्वपूर्णरहें। वास्तव मेंविभिन्न स्तरों-व्यक्तिगत, बौद्धिक और सामाजिक-राजनीतिक अनुभवों ने उनके विचारों के निर्माण पर गहरा प्रभाव डाला। भारत और विदेशों में अंग्रेजी शिक्षा के साथ मुठभेड़ ने अम्बेडकर को कई समकालीन विचारक बुद्धिजीवियों के संपर्क में आने में मदद की। उन विचारकों ने अपने विचारों के माध्यम से अम्बेडकर को बौद्धिक रूप से आकर्षित किया था। अम्बेडकर भारतीय समाज सुधारकों के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वह भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, कबीर, नंदनार, रविदास और चोखामेला जैसे दलित संतों के दार्शनिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी पुस्तक "अछूत कौन थे और वे अछूत क्यों बने?" नंदनार, रविदास और चोखामेला को समर्पित किया। तीन प्रसिद्ध संत अछूतों के बीच पैदा हुए थे और उनकी धर्मपरायणता और सदाचार ने सभी का सम्मान जीता। अम्बेडकर उन संतों की प्रशंसा करते थे कि वे रूढ़िवादी हिंदुओं को चुनौती देते थे और दलितों को धार्मिक दिशा-निर्देश देते थे।[1] अम्बेडकर एक अलग पाठक थे और उन्होंने जो किताबें पढ़ीं, उनसे उन्होंने बहुत प्रेरणा ली। सामाजिक न्याय के लिए अम्बेडकर के संघर्ष पर इन पुस्तकों का बहुत प्रभाव पड़ा।

अम्बेडकर पहले भारतीय राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने भारत में लोकतंत्र के पश्चिमी पैटर्न की अप्रासंगिकता को महसूस किया। उनके अनुसार, राज्य और समाज,राज्य और सरकार , राज्य और राष्ट्रके बीच अंतर करना ही काफी नहीं था।वह इन संस्थाओं की जड़ों तक गए और इन संस्थाओं को बनाने वाले तत्वों, यानी लोगों को ध्यान में रखने के महत्व की ओर इशारा किया। अम्बेडकर ने उन पश्चिमी लेखकों की आलोचना की जो उनके जीवन में सामाजिक और आर्थिक अंतर्विरोधों को पहचानने में विफल रहे।वॉल्टर बैजहोट या अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषाएं अम्बेडकर के लिए संतोषजनक नहीं थीं। बैजहॉट लोकतंत्र को "चर्चा द्वारा सरकार" और लिंकन को "लोगों की सरकार, लोगों द्वारा और लोगों के लिए" के रूप में परिभाषित करता है। अम्बेडकर लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में कुछ मूलभूत परिवर्तनों का सुझाव देते हैं और बिना किसी विवाद और रक्तपात के लोगों द्वारा उन परिवर्तनों को स्वीकार करने का सुझाव देते हैं। वह सामाजिक लोकतंत्र के साथ लोकतंत्र के सिद्धांत को स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने राजनीतिक पहलुओं पर लोकतंत्र के सामाजिक पहलुओं को केंद्रीय महत्व दिया।[2]अम्बेडकर ने टिप्पणी की,"हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक कि यह सामाजिक लोकतंत्र के पट्टे पर न हो।"[3]अम्बेडकर लोकतंत्र को व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से देखते हैं। वह राजनीतिक वैज्ञानिकों के यथार्थवादी स्कूल से संबंधित हैं। उन्हें राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों और सिद्धांतों की कोई परवाह नहीं है। राष्ट्रीय सुधार के दौरान उनका उद्देश्य वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए न्याय और स्वतंत्रता होना है। उन्होंने जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार बनाने की आकांक्षा की। अम्बेडकर के अनुसार, लोकतंत्र का अर्थ है कोई गुलामी नहीं, कोई जाति नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं।अम्बेडकर सोचते हैं कि लोकतंत्र *'मिले-जुले जीवन जीने का एक तरीका है'। इसकी जड़ें 'समाज बनाने वाले लोगों के बीच जुड़े जीवन के संदर्भ में, सामाजिक संबंधों में खोजी जानी हैं।*"[4]

अम्बेडकर सरकार की संसदीय प्रणाली के बड़े प्रशंसक थे। उनके अनुसार, प्रणाली की तीन अंतर्निहित विशेषताएं हैं। पहला, समय-समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। दूसरे, सरकार के रूप में कोई भी व्यक्ति इस अधिकार को नहीं मान सकता कि वह सब कुछ जानता है और वह कानून बना सकता है और सरकार चला सकता है। कानून जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाने हैं। अंत में, निर्वाचित प्रतिनिधियों, विधायिकाओं और मंत्रियों को समय-समय पर जनता का अपने आप में विश्वास नवीकृत करना

चाहिए।[5]संसदीय लोकतंत्रके बारे मेंअम्बेडकर के विचार: *" संसदीय लोकतंत्र में कम से कम दो पक्ष होने चाहिए। दोनों को एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। इसलिए एक 'कार्यात्मक विपक्ष', वे कहते हैं, की जरूरत है; विरोध मुक्त राजनीतिक जीवन की कुंजी है। कोई लोकतंत्र इसके बिना नहीं हो सकता।' आधुनिक समय में, डॉ अम्बेडकर लोगों को सरकार बदलने के लिए उचित साधन अपनाने के लिए शिक्षित और प्रबुद्ध करते दिखाई देते हैं। "चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। लोगों को उन लोगों को चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए जिन्हें वे विधायिकाओं में भेजना चाहते* हैं।"[6]अम्बेडकर ने लोकतंत्र की अवधारणा में जीवन, स्वतंत्रता और खुशी जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मानव जीवन का अनिवार्य अंग माना। वे मानव कल्याण और मानवाधिकारों को महत्व देते हैं। अम्बेडकर के लिए लोकतंत्र का सार यह है कि समाज के अधिक से अधिक सदस्यों को मानवाधिकारों के प्रयोग में हिस्सा लेना चाहिए। इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और मानव अधिकारों में भेदभाव का पूर्ण निषेध होना चाहिए। इस प्रकार अम्बेडकर मानव अधिकारों की समानता और स्वतंत्रता पर जोर देते हैं।अम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता और स्वशासन के प्रशंसकों में से एक थे। और वह प्रशासन की एक लोकतांत्रिक प्रणाली के समर्थक थे।[7]

अम्बेडकर ने जाति और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी क्योंकि उन्होंने पाया कि अधिकांश लोगों के लिए कोई मानवाधिकार नहीं थे। वह लोगों की अंतरात्मा को जीवंत करना चाहते थे और समान मानवाधिकारों के लिए भारत में जनता को गोलबंद करना चाहते थे। अछूतों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक अक्षमताओं को दूर करने के लिए, लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा सरकार स्थापित करना आवश्यक मानते थे। उनके जीवन का अंतिम उद्देश्य "वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र" बनाना था।[8]डॉ० अम्बेडकर के राजनैतिक विचार व्यक्ति एवं उसके अधिकारों के चारों और घूमते रहते हैं। राज्य का मुख्य आधार एक सर्वांगीण सामाजिक सिद्धान्त है, राज्य के द्वारा केवल अन्याय एवं अत्याचार को ही अलग नहीं किया जा सकता है बल्कि ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिससे सार्वजनिक कल्याण किया जा सके ।[9]डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार राज्य का कार्य मनुष्य की भलाई करना एवं आन्तरिक व्यवस्था बनाये रखना तथा देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है । राज्य को प्रत्येक नागरिक की ऐसी सुविधायें प्रदान करनी चाहिए जिससे वे अपने जीवन स्तर को बनायें रखें। आधुनिक राज्यों से इन्हीं बातों की आशा की जा सकती हैं।[10]सामाजिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी न किसी रूप में राज्य संगठन की आवश्यकता होती है। यह एक जिम्मेदार सरकार का काम है। वास्तव में, एक श्रेष्ठ लोकतांत्रिक समाज की स्थापना तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि ऐसा नहीं किया जाता।[11]

अम्बेडकर राजनीतिक लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं देखते थे और इसलिए राजनीतिक संगठन के एक उपयुक्त रूप में दृढ़ता से विश्वास करते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।इसलिए उन्होंने संसदीय लोकतंत्र के साथ एक राजनीतिक-आर्थिक ढांचे, अर्थात् संवैधानिक राज्य समाजवाद की वकालत की। यह संयोजन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि सामाजिक और आर्थिक संगठन अधिक समतावादी हों और फलस्वरूप, संसदीय लोकतंत्र वंचितों के लिए अधिक सार्थक हो जाए।[12]अम्बेडकर इस विचार में दृढ़ता से विश्वास करते थे कि लोकतंत्र को केवल स्वतंत्र सरकार या कानून बनाकर हासिल नहीं किया जा सकता क्योंकि सामाजिक जीवन का एक विशाल क्षेत्र है जहां कानून तभी सफल हो सकते हैं जब समाज में ऐसा करने के लिए पर्याप्त नैतिकता हो।[13]अम्बेडकर का संघीय राज्य का विचार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सरकारी सत्ता का स्पष्ट विभाजन है, प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में दूसरे से स्वतंत्र है। सत्ता के विभाजन के संबंध में संघ और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका'। संघवाद की उनकी अवधारणा का अर्थ है कि राज्य सामान्य स्थिति में एक संघ है लेकिन आपातकाल में एकात्मक है।[14]अम्बेडकर चाहते थे कि सरकार और राज्य दोनों को मानवीय विचारों पर संगठित किया जाना चाहिए ताकि मानवता लंबे समय तक पीड़ित न हो। वह सामाजिक आदर्शों और राजनीतिक मूल्यों के कायाकल्प में विश्वास करते थे।[15]डॉ अंबेडकर लोकतंत्र को केवल एक प्रशासन की एक व्यवस्था या पद्धति ही नहीं मानते थे बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम भी मानते थे। इसलिए वे अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा "लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार है" संतुष्ट नहीं थे। लोकतंत्र सरकार का एक स्वरूप एवं पद्धति है, जिसके माध्यम से लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाए जाते हैं। लोकतंत्र के उद्देश्य और प्राथमिकताओं में समय और समाज के साथ परिवर्तन होता है।[16]

3. उपसंहार

अम्बेडकर एक राजनेता, विद्वान, दलितों के धर्मयोद्धा और सबसे बढ़कर एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप मेंभारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। दलितों के उत्थान में उनके योगदान ने उन्हें दलित वर्गों के बीच एक लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया। वह अब लाखों पीड़ित लोगों के दिल और दिमाग में रहते हैं। वे अब उन्हें अमर आत्मा के रूप में देखते हैं जिनकी स्मृति देश को सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता के पथ पर ले जाएगी। इस प्रकार, सामाजिक न्याय प्राप्त करने, अस्पृश्यता को दूर करने, समानता और स्वतंत्रता और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में अम्बेडकर आज भी भारतीय समाज के लिए बहुत प्रासंगिकता है। लोकतांत्रिक समाजवाद उनके राजनीतिक चिंतन का मूल स्वर है और इसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका संविधानवाद है।अम्बेडकर के राजनीतिक विचार विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करते है। अम्बेडकर के राजनीतिक दर्शन देश को न्याय, स्वतंत्रता और समानता

के पथ पर सदैव अग्रसर रखेगी। इसलिए, यह लेख, अम्बेडकर के लेखन में निहित सैद्धांतिक मुद्दों को प्रतिबिंबित करने के अलावा, उन मुद्दों पर भी अम्बेडकर की स्थिति को जानने का प्रयास करता है जिनकी प्रासंगिकता आज भी वास्तव में महसूस की जाती है।

सन्दर्भ सूची

[1]डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर: राइटिंग एंड स्पीचेज़ (खंड 1-12), दीअनटचअब्लेस हु वर दे व्हाई दे बेकम अनटचअब्लेस,शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, पृष्ठ. 4 , बॉम्बे
[2]जी.एस. लोखंडे, बी.आर. अम्बेडकर: ए स्टडी इन सोशल डेमोक्रेसी, पृष्ठ 22
[3]जीएस लोखंडे, मूल रूप से संविधान सभा बहस, (25-11-1949) 11 खंड में उद्धृत,पृष्ठ.972
[4]धनंजय कीर: डॉ अंबेडकर का जीवन और मिशन, पृ. 490
[5]भारिल, चंद्रा, बी आर अम्बेडकर के सामाजिक और राजनीतिक विचार, जयपुर: आलेख प्रकाशक, पृष्ठ 184
[6]एम. वी. पायली, भारत में संवैधानिक सरकार, पृष्ठ 55 56
[7]बीएडब्ल्यूएस, खंड 1, पृ237
[8]बीएडब्ल्यूएस, खंड 1, पृ 409
[9]एक भाषण से जो अम्बेडकर ने दिनांक 6 मई, 1945 को आल इण्डिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बम्बई अधिवेशन में दिया
[10]डॉ0 अम्बेडकर - स्टेट्स एण्ड माइनारिटीज, पृ0 5
[11]डॉ० अम्बेडकर , दी बुद्ध एण्ड हिज धम्म, पृ० 317
[12]थोरट एस, आर्यमा। (संपा.) 2007. अम्बेडकर इन रिट्रोपेक्ट: एसेज़ ऑन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, नई दिल्ली: रावत प्रकाशन, पृष्ठ 16
[13]भारिल, चंद्रा, बी आर अम्बेडकर के सामाजिक और राजनीतिक विचार, जयपुर: आलेख प्रकाशक, पृष्ठ 190
[14]भारती, के, एस. 1956. द पॉलिटिकल थॉट ऑफ़ अम्बेडकर, इन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ एमिनेंट थिंकर्स, वॉल्यूम IX, नई दिल्ली: कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग, पृष्ठ 75
[15]पूर्वोक्त, पृष्ठ 84
[16]सिंह राम गोपाल, डॉ अंबेडकर का विचार दर्शन, पेज - 172